न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—77 / 2023 / 223 आर.टी.एक्ट (2023 / 77)

1. कन्हैयालाल पुत्र छोगा
2. श्रीमती घीसी पत्नि राधेश्याम
3. श्री किशन पुत्र राधेश्याम
4. संतोष पुत्र राधेश्याम
5. श्रीमती जमना पत्नि सियाराम
6. शंकर पुत्र सियाराम
7. श्रीमती गुड्डी पुत्री सियाराम
8. रमेश पुत्र सियाराम
9. सुशीला पुत्री सियाराम
10. रामेश्वर पुत्र सियाराम

समस्त जाति राव निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती अनोपी पत्नि मोती
2. कमला पुत्री स्व0 मोती
3. सूरजमल पुत्री स्व0 मोती (फौत जरिए वारिसान)
   - 3 / 1 महावीर पुत्र स्व0 सूरजमल
   - 3 / 2 कैलाश पुत्र स्व0 सूरजमल
   - 3 / 3 पार्वती पुत्री स्व0 सूरजमल
4. हीरालाल पुत्र स्व0 मोती
5. धर्मीचंद पुत्र स्व0 मोती(फौत जरिए वारिसान)
   - 5 / 1 लाली देवी पत्नि स्व0 धर्मीचंद
   - 5 / 2 राजीवर पुत्र स्व0 धर्मीचंद
   - 5 / 3 मोनू पुत्र स्व0 धर्मीचंद
   - 5 / 4 राजेन्द्र पुत्र स्व0 धर्मीचंद
   - 5 / 5 सुरेश पुत्र स्व0 धर्मीचंद

   समस्त जाति राव निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. पप्पू पुत्र स्व0 मोती
7. प्रेम पुत्र स्व0 मोती
8. सुरेश पुत्र स्व0 मोती

   समस्त जाति राव निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।
10. गणेश पुत्र हजारी(फौत) जरिए वारिसान

    10 / 1 रतनलाल पुत्र स्व0 गणेश निवासी पट्टी का गोदाम चमनपुरा उदयपुर रोड शिवाजी का मंदिर मावली जंक्शन उदयपुर।
11. रमेश पुत्र मिश्री

    समस्त जाति राव निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 15/2008

उपस्थितः–

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मो0 इकबाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4, 6 व 8
3. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 09
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3/1 से 3/3, 5/1 से 5/5, 7, 10 व 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–24.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंर्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का वादीगण ने प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन प्रेषित करने पर पैरवी नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वाद पत्र में कुल चार तनकीयात कायम किए गए जिनमें प्रथम तनकीयात दावाकृत आराजी का वर्तमान इंद्राज त्रुटिपूर्ण का कायम किया गया तथा द्वितीय तनकीयात वर्तमान इंद्राज दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है का कायम किया गया एवं तृतीय तनकीयात स्थाई निषेधाज्ञा एवं चतुर्थ तनकीयात अनुतोष का कायम किया गया तथा वाद पत्र में वादीगण की तरफ से वाद पत्र में वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 व 2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 खतौनी जमाबंदी, प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सन् 1365 प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी सन् 1360 फसली प्रदर्श 6 खसरा गिरदावरी सन् 1362 फसली प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत 2059 से 78, प्रदर्श 8 वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10 सजरा प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 से 18 मांग पत्र प्रदर्श 19, 20, 22 से 27, 29 से 36 रसीदें, प्रदर्श 21, 28 मांग पत्र प्रस्तुत किए तथा वादी कन्हैयालाल के व मौखिक साक्ष्य नसीबा के प्रस्तुत किए तथा राजस्थान सरकार प्रतिवादी की ओर से पटवारी हल्का के बयान दर्ज कराए गए व उभयपक्ष की न्यायालय द्वारा बहस सुनी गई और वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2009 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 3/1 से 3/3, 5/1 से 5/5, 7, 10 व 11 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में रेस्पोडेंट के द्वारा कुछ आवश्यक राजस्व अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर पूर्व में नहीं है, जिनसे अपील के अंतिम निर्णय करने में न्यायालय को सहायता प्राप्त होगी तथा उपरोक्त दस्तावेज लोक दस्तावेजों की श्रेणी में आते है, जिनकी सत्यता पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ क्रमशः प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज निम्न प्रकार है–

1. जमाबंदी चौसाला संवत 2024 से 2027 खाता संख्या 279 एवं 273
2. जमाबंदी वर्किंग संवत 2041 खाता संख्या 289
3. जमाबंदी संवत 2059 से 2078 खाता संख्या 18
4. मिलान क्षेत्रफल
5. जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 796
6. जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 714
7. जमाबंदी संवत 2069 से 2078 खाता संख्या 18
8. जमाबंदी संवत 2069 से 2072 खाता संख्या 9
9. जमाबंदी संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 11
10. खसरा गिरदावरी वर्ष 2023
11. खसरा गिरदावरी वर्ष 2025

यह कि उपरोक्त समस्त दस्तावेज पूर्व में न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किस प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 व 2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 खतौनी जमाबन्दी,

प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सन् 1365, प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सन् 1360 फसली, प्रदर्श 6 खसरा गिरदावरी सन् 1362 फसली, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्बत 2059 से 78, प्रदर्श–8 वर्किंग जमाबन्दी, प्रदर्श– नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 10 सजरा प्रमाण पत्र, प्रदर्श–11 से 18 मांग पत्र, प्रदर्श–19, 20, 22 से 27, 29 से 36 रसीदें, प्रदर्श– 21, 28 मांग पत्र प्रस्तुत किए तथा वादी कन्हैयालाल के व मौखिक साक्ष्य नसीबा के प्रस्तुत किए जिससे वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पूर्वजों की होना सुस्पष्ट तथा स्वयं प्रतिवादी की ओर से पटवार हल्का द्वारा दिये गये बयानों से भी मौके की स्थिति एवं दस्तावेज की स्थिति स्पष्ट की गई तथा पटवारी गवाह ने स्वीकार किया कि मौके पर सभी के पास हक व हिस्से अनुसार कब्जा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी उपरोक्त तथ्यों का हवाला नहीं दिया तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से वादीगण के पूर्वज बदरी वल्द जगन्नाथ कौम जागा के नाम की खतौनी जमाबन्दी सन् फसली 1349 प्रस्तुत की गई तथा प्रदर्श–3 के रूप में दस्तावेज अंकित किया गया जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पूर्वज था तथा उक्त पूर्वज बदरी के तीन पुत्र मोती, हजारी, छोगा का सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श–10 के रूप में अंकित किया गया किन्तु केवल एक पुत्र मोती के नाम हो गई जो गलती से स्पष्ट होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो अपास्त किए जाने योग्य है। वाद पत्र में कुल चार विवाद बिन्दु कायम किये जो कमशः वाद पत्र में कुल चार तनकीयात कायम किये गये जिनमें प्रथम तनकीयात दावाकृत आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण का कायम किया गया तथा द्वितीय तनकीयात वर्तमान इन्द्राज दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है का कायम किया गया एवं तृतीय तनकीयात स्थायी निषेधाज्ञा एवं चतुर्थ तनकीयात अनुतोष का कायम किया गया तथा उक्त तनकीयात को वादीगण द्वारा वाद पत्र में दस्तावेज प्रदर्श–1 से लेकर 36 प्रस्तुत कर साबित किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया जो अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में भूमि पुश्तैनी होने तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित होने तथा जमीन सम्बन्धी विशेषज्ञ गवाह पटवार हल्का मौके पर सभी का कब्जा स्वीकार करने का कथन न्यायालय में किये जाने के बावजूद उपरोक्त निर्णय पारित कर त्रुटि कारित की है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से वाद वादिया द्वारा पूरी तरह से सिद्ध किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर उपरोक्त निर्णय पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2009 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 (2005)(1) राजस्थान पेज 270 प्रस्तुत किया।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजीयात से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है न ही कभी उनका विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा है। यह भी कथन किया कि अपीलांट कन्हैयालाल ने अपीलांट संख्या 11, 12 व 13 के झूठे अंगूठे/हस्ताक्षर कर उनकी और से

अपील प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलांट सख्यां 11, 12 व 13 द्वारा हमारे विरूद्ध कोई अपील एवं वाद प्रस्तुत नहीं करने का कथन किया है। इस संबंध में अपीलांट संख्या 11 गणेश पुत्र हजारी व अपीलांट संख्या 13 रमेश पुत्र मिश्री ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है जिसमें गणेश ने कथन किया कि वह गत् 40 वर्षो से मावली में निवास कर रहा है इसी प्रकार रमेश ने अपने शपथपत्र में अंकित किया है कि वह गत् 30–40 वर्षों से अहमदाबाद में निवास कर रहा है एवं उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अपील या वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट कन्हैयालाल ने उनके फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठे निशानी से उनके नाम से अपील पेश की है। यह भी कथन किया कि अपीलांट संख्या 12 शांता का स्वर्गवास लगभग डेढ दो वर्ष पूर्व हो चुका है। अपीलांटस द्वारा फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी से अपील पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा अपीलांटस के विरूद्ध अपीलांट संख्या 11, 12 व 13 के द्वारा बिना उनकी सहमति के उनके झूठे हस्ताक्षर के आधार पर अपील पेश करने के लिये उनके विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डित कराया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।.

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आाराजीयात बाबत खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की उदघोषण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर उक्त प्रकरण में चार तनकीयां कायम कर एवं साक्ष्य ग्रहण करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 06.08.2009 को वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 233/2009 बउनवानी कन्हैयालाल बनाम अनोपी प्रस्तुत की जिसे हाजा न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.12.2014 द्वारा निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील डिक्री संख्या 7600/2014 बनउनवानी कन्हैयालाल बनाम अनोपी देवी प्रस्तुत की जिसे राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2022 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2014 को निरस्त कर उक्त प्रकरण को पुनः हाजा न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में निर्णय पारित किए जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा अपीलांट संख्या 11 व 13 को माननीय राजस्व मण्डल में रेस्पोडेंट संयोजित किया गया है। जिसकी पालना में हाजा न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज कर उक्त अपील पर सुनवाई कर बहस सुनी गई।

उक्त अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदारी उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इंद्राज दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया था जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने के पश्चात उक्त राजस्व वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चार तनकीयां कायम कर तनकीवार निर्णय

कर अपने आदेश दिनांक 6.8.2009 के द्वारा उक्त राजस्व वाद निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया। वादीगण द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1926 रकबा 00–12–10 खसरा नम्बर 1927 रकबा 0–12–00, खसरा नम्बर 1928 रकबा 03–03–00, खसरा नम्बर 1929 रकबा 04–12–00 कुल रकबा 8–19–10 बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दौला वल्द जयराम व बद्री वल्द जगन्नाथ उक्त आराजीयात के मूल खातेदार थे ब्रदी वल्द जगन्नाथ के स्वर्गवास के पश्चात उनका आधा हिस्सा उनके वारीसान वादीगण व प्रतिवादीगण में निहित हो गया था तथा दौराने बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजीयात को वादीगण के पूर्वज अथवा वादीगण द्वारा बिना किसी बेचान, रहन, हस्तांतरित या अन्य प्रकार से मुंतिकल किए बिना उक्त आराजीयात को त्रुटिपूर्ण रूप से केवल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी अतः वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण को अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इंद्राज दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में मुर्तिब तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का समुचित अवलोकन किए बिना ही अति संचित रूप से उक्त तनकीयों का निर्णय किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय कर प्रदर्श 3 ,1349 सन फसली में दर्ज दौला वल्द जयराम व ब्रदी वल्द जगन्नाथ के नाम वादग्रस्त आराजीयात का अंकन तो किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त 1349 सन फसली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व या पश्चात उक्त जमाबंदी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार क्या प्रभाव रहा तथा वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अन्य राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किया है जिसका अवलोकन किया जाना भी न्यायोचित है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6.8.2009 में गवाहों के बयानों का भी अवलोकन कर उक्त राजस्व वाद के परिप्रेष्य में बिना उल्लेख किए उक्त आदेश पारित किया है, तथा अधीनसथ न्यायालय द्वारा उक्त जमाबंदी के पश्चात मुर्तिब अन्य जमाबंदी में दौला वल्द जयराम व बद्री वल्द जगन्नाथ के नाम अन्य जमाबंदी में उक्त इंद्राज किस प्रकार से नहीं रहा इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर सरसरी तौर से उक्त दोनों तनकीयों का निर्णय संचित रूप से पारित कर वादीगण का वाद निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया तथा तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय करने के पश्चात तनकी संख्या 3 का निर्णय भी वादीगण के विरूद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित राजस्व वाद को सरसरी तौर से दिनांक 6.8.2009 को निरस्त किए जाने में भारी कानूनी भूल की है।

वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य दस्तावेजात/प्रदर्श प्रस्तुत किए गए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उन प्रदर्शों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया तथा जब प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किन आधारों पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई एवं उक्त तनकीयों पर अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का उल्लेख किए बिना ही तनकीयों को विरूद्ध वादी तय किया गया जबकि प्रदर्श 3 ,1349 सन फसली में दर्ज दौला वल्द जयराम व ब्रदी वल्द जगन्नाथ के नाम वादग्रस्त आराजीयात का अंकन दर्ज है तथा प्रदर्श पी 4 सन 1365 सन फसली में छोगा वल्द बद्री का नाम कॉलम संख्या 6 में काश्तकार के रूप में दर्ज होकर काश्त की गई फसल का उल्लेख है इसी अनुसार प्रदर्श पी 5 में जो कि सन फसली 1360 है जिसमें भी कॉलम संख्या

5 में छोगा वल्द बद्री काश्तकार के रूप में दर्ज है, प्रदर्श पी 6 सन फसली 1362 में भी कॉलम संख्या 5 में छोगा वल्द ब्रदी काश्तकार के रूप में दर्ज है। उक्त सन फसली जमाबंदी 1349 जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व की है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के बाद अपीलांट/वादीगण के पूर्वजों का नाम आगे मुर्तिब की गई जमाबंदीयों में अंकित नहीं हुआ है जो कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा परीक्षण योग्य था इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.6. 2009 को प्रस्तुत बयान में भी उक्त भूमि पर छोगा, मोती व हजारी का कब्जा माना गया है। इस आधार पर यहां यह कहना उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक बयानों को सरसरी तौर पर अवलोकन करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में विधिकत्रुटि कारित हुई है। सन फसली 1349, 1360, 1362 व 1365 में वादीगण के पूर्वज छोगा वल्द बद्री के नाम दर्ज होने के बाद किन आधारों पर राजस्व रिकार्ड से हटाया गया तथा अकेले प्रतिवादीगण का नाम आगे मुर्तिब की गई जमाबंदीयों में किन आधारों पर अंकित रहा इस संबंध में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय को यह बताने में असमर्थ रहे है तथा उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षण के उपरांत तय किया जाना चाहिए था जो कि उनके द्वारा तय नहीं किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित हुई है अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2009 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2009 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रत्येक तनकीयात का विधिक विश्लेषण कर पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.10.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर